

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-20/2026/

पटना, दिनांक -

निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, पटना के पत्रांक-1073 दिनांक-09.06.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रशांत विमल (जे0 10468), कनीय अभियंता (असै0), वाल्मी, पटना के छोटे भाई के चिकित्सा हेतु दिनांक-14.05.2026 से 28.05.2026 तक (कुल-14 दिन) के अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के प्रावधानानुसार उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(मनीष आनंद)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

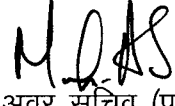
ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, पटना के पत्रांक-1073 दिनांक-09.06.2026 के क्रम में/ श्री प्रशांत विमल (जे0 10468), कनीय अभियंता (असै0), वाल्मी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - ³⁹⁰⁹ पटना/दिनांक - ^{09/07/2026}
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अवर सचिव (प्रबंधन)।